मिसल नम्बर 19/2021
निर्णय दिनांक 15–03–2021

राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– कृष्ण सिंह
मिसल नम्बर :– **19/2021**

सरकार

बनाम

मोतीराम पुत्र श्री कालूराम जाति माली निवासी काली पहाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

..................गैर सायल

(अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट–1956)

दिनांक :– 15–03–2021

–: निर्णय :–

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल को आवाज दिलवाई गई। आवाज पर कोई हाजिर नही। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहिर हुआ है कि पटवारी हल्का पपुरना के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3766 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म जाव–1 के रकबा 600 वर्गमीटर भूमि पर गैर सायल मोतीराम पुत्र श्री कालूराम जाति माली निवासी काली पहाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने दीवार लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। जिनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावे।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी के गैर सायल के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर अतिकमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। न्यायालय हाजा से जारी नोटिस गैर सायल की पत्नी श्रीमती श्रवणी देवी द्वारा तामिल हो चूका है। जो की गैर सायल को सूचना हेतु पर्याप्त है। नोटीस तामील होने के बावजूद गैर सायल अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात् एवं पटवारी रिपोट का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि गैर सायल मोतीराम पुत्र श्री कालूराम जाति माली निवासी काली पहाड़ी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0 ने **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3766 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म जाव–1 के रकबा 600 वर्गमीटर भूमि पर दीवार लगाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। गैर सायल को राजकीय भूमि को अनाधिकृत रूप से अपने अधिभोग में लेने या रखने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजकीय भूमियां राजकीय प्रयोजनों के लिए सुरक्षित रखी गई है।

अतः पटवारी हल्का पपुरना की रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

(लगातार)

तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुंझुनूं (राज.)

मिसल नम्बर 19 / 2021
निर्णय दिनांक 15–03–2021

–: **आदेश** :–

अतः प्रकरण में गैर सायल की अनुपस्थिति में गैर सायल के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का पपुरना के प्रश्नगत भूमि पर गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाकर **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3766 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म जाव–1 के रकबा 600 वर्गमीटर पर से **बेदखल** किया जाता है तथा गैर सायल से शरह लगान 1 रूपये का 50 गुणा = **50/-** रूपये तावान कायम व वसूली का आदेश दिया जाता है। तहसील राजस्व लेखाकार से राजस्व लेखों में मांग कायमी व पटवारी हल्का **पपुरना** से तावान की वसूली करवाई जावे। गैर सायल की **राजस्व ग्राम काली पहाड़ी** स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3766 रकबा 0.10 हेक्टेयर किस्म जाव–1 के रकबा 600 वर्गमीटर भूमि पर से भौतिक मौका बेदखली हेतु सम्बन्धित भू–अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का के नाम निर्णय की पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 15–03–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(कृष्ण सिंह)
तहसीलदार खेतड़ी
जिला- झुन्झुनूं (राज.)

इस पत्रावली ... वर्ष 2020-21 के ... संख्या 10 ... जमा ली गई है।
राशि 50/-
... लेखाकार
खेतड़ी